



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिलिख्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 17 अप्रैल, 1982

चैत्र 27, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1227/सत्रह-वि०-1-3-1981

लखनऊ, 17 अप्रैल, 1982

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पर दिनांक 7 अप्रैल, 1982 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982.

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1982)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं का अर्जन और प्रबन्ध करने, ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूँकि राज्य में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली अनेक चिकित्सा संस्थायें केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलायी जा रही हैं;

और चूँकि इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा अपेक्षित स्तर की नहीं है;

और चूँकि इनमें से अधिकांश संस्थायें राज्य में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है और इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का भाग्य अनिश्चित रहता है;

और चूँकि ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसमें शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने की दृष्टि से कतिपय वर्तमान संस्थाओं का अर्जन करना और शेष संस्थाओं को बन्द करना आवश्यक है;

और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित नहीं समीचीन है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

### अध्याय—एक

#### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस विधि में नियत करे ।

परिभाषाएँ

2—इस अधिनियम में,—

(क) “नियत दिन” का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) “आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति” का वही तात्पर्य होगा जो उसके लिये संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 में दिया गया है ;

(ग) “अनुसूचित संस्था” का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके संबंध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था के संबंध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी हैं ;

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के संबंध में, “सोसाइटी” का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है जिसमें ऐसी संस्था का स्वामित्व और उसके कार्य-कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

### अध्याय—दो

#### अनुसूचित संस्थाओं का अर्जन

अनुसूचित संस्थाओं  
का राज्य सरकार  
में निहित होना

3—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था और उसके साथ ही—

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसी संस्था स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर,

(ख) ऐसी संस्था का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधन, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण-कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियां,

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान, वही-ऋण (बुकडेट) और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसी संस्था के कार्य-कलाप के प्रबन्ध के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति, न्यासी, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रही हो;

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी और ऐसी संस्था के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के संबंध में प्रत्येक दान-विलेख, विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार में निहित हो गई है, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त, और उन्मोचित हो जायगी, और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली किसी न्यायालय या अधिकरण की प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या विद्यमान किसी कार्यवाही या वादहेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता।

4--(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि--

(क) एक या अधिक अनुसूचित, संस्थाओं को वन्द कर दिया जायगा ;

(ख) ऐसी दो या अधिक संस्थाओं को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;

(ग) ऐसी एक या अधिक संस्थाओं के छात्रों को ऐसी किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित या आमेलित कर दिया जायगा ;

(घ) ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक संस्था से दूसरी संस्था में कर दिया जायगा।

5--(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलक्टर या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगा, और कलक्टर या यथापूर्ववत् ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हो।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से संबंधित कोई वही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा-जोखा, कलक्टर को या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा।

(3) इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई है, कब्जा लेने के लिये ऐसी समस्त कार्यवाही करे जो आवश्यक और विधिपूर्ण हो।

6--(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था में या उसके कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित हो, नियत दिन से, राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यवाही के लिये उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय :

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तु के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित का हकदार होगा--

(क) स्थायी कर्मचारी की स्थिति में तीन मास के वेतन के बराबर

अनुसूचित संस्थाओं का प्रशासन

कब्जा देने का कर्तव्य

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

और किसी अन्य कर्मचारी की स्थिति में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि; और

(ख) अन्य सुविधायें, यदि कोई हों, जो ऐसी संस्था में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होती यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित संस्था में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्व-वर्ती दिनांक को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था में (अनुसूचित संस्था से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसे पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो।

कतिपय नियुक्तियों  
आदि का पुन-  
विलोकन

7—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गई वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकार किसी अधिकारी को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकती है, और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस निमित्त प्राप्त अध्यापकों पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की, यथास्थिति, सेवा समाप्त कर सकती है या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकती है, और ऐसी प्रत्येक सेवा-समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के संबंध में जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिये की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाय और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे:

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नहीं करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी—

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असदभावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकर है, और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करनेवाला उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय।

### अध्याय—तीन

नई संस्थाएं खोलने और नये छात्रों को भर्ती करने का निषेध

नई संस्थाएं  
खोलने पर निर्ब-  
धन

8—धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात्—

(क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रवर्धना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका मंगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, न उसका मंगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेंगा;

(ख) ऐसी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्तावना करेगा;

(ग) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के संबंध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नहीं लेगा ;

(घ) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिये तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

9—आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली कोई चिकित्सा संस्था जो नियत दिन के पूर्व स्थापित हुई हो, नियत दिन को ऐसी संस्था में नाम-निवेशित छात्रों को नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि में निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रोन्नति के रूप में भर्ती कर सकती है, और उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् धारा 8 के उपबन्ध प्रत्येक संस्था पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

छात्रों की भर्ती पर निबन्धन

10—धारा 8 या धारा 9 की कोई बात आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक के अपनी रचि की किसी शिक्षा संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में व्यावृत्ति

11—धारा 8 और 9 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावात से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

धारा 8 और 9 के उल्लंघन के लिये शास्ति

### अध्याय—चार

प्राकृतिक और योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ

12— 1) राज्य सरकार के लिए प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था की स्थापना, उसके अनुरक्षण, प्रबन्ध और कार्य को नियमों द्वारा विनियमित करना विधिपूर्ण होगा ।

प्राकृतिक और योग चिकित्सा से संबंधित संस्थाओं का विनियमन

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) ऐसे नियमों के प्रारम्भ को दिनांक को प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ;

(ख) ऐसी नई संस्थाएँ खोलने या स्थापित करने के लिये जिसमें प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान किया जाना हो, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये उपबन्ध ;

(ग) ऐसी शर्तें और निबन्धन आरोपित करना जिन पर खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं को पूर्ववत् बने रहने की अनुमति दी जायगी ;

(घ) नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं का नियतकालिक निरीक्षण करने के लिये उपबन्ध ;

(ङ) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना, विवरण-पत्र या विवरणियाँ ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, मांगने की शक्ति प्रदान करना ;

(च) उन व्यक्तियों पर जो ऐसे नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करें या तदधीन जारी किये गये किसी विधिपूर्ण निदेश का अनुपालन करने में विफल रहें, शास्ति आरोपित करने के लिये उपबन्ध ।

### अध्याय—पांच

#### प्रकीर्ण

13—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को किसी डिक्ली या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

शास्ति

14—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो—

(क) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति या आस्ति को अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार से दोषपूर्ण रीति से रोकता है, या

(ख) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिये धृत किसी संपत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित संस्था के संबंध में अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) का उल्लंघन करते हुये जानबूझकर रोकता है या उनका लेखा-जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है, या नष्ट करता है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा  
अपराध

15—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य-संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए पूर्णरूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से  
किये गये कार्य का  
संरक्षण

16—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपराध का संज्ञान

17—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुये भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा।

नियम बनाने की  
शक्ति

18—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम
1	आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी।
2	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया (इलाहाबाद)।
3	तक मिल-उत्तीब कालेज, लखनऊ।
4	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सहाय,  
संयुक्त सचिव।

No. 1227(2)/XVII—V-1-3-1981

Date d Lucknow, April 17, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bharatiya Chikitsa Sanstha (Arjan Aur Prakirna Upbandh) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 7, 1982):

**THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICAL INSTITUTIONS (ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1982**

[U. P. ACT NO. 18 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

to provide for the acquisition and management of certain non-government institutions imparting instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine, to provincialize education in such systems of medicine, to regulate the imparting of instruction in naturopathy and Yoga Therapy and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, a large number of medical institutions imparting instruction in the Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of Medicine are operating in the State with mercenary motives ;

AND, WHEREAS, the standard of education, equipment and facility for studies obtaining in these institutions are not up to the mark ;

AND, WHEREAS, most of these institutions are not affiliated to any University in the State and the fate of students obtaining instructions in these institutions remains uncertain ;

AND, WHEREAS, with a view to provincializing education in such systems of medicine and improving standard of education and treatment therein, it is necessary to acquire certain existing institutions and to close down the rest ;

AND, WHEREAS, it is expedient to regulate the imparting of instruction in naturopathy and Yoga therapy ;

NOW, THEREFORE, it is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :

**CHAPTER I**

*Preliminary*

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Indian Medical Institutions (Acquisition and Miscellaneous Provisions) Act, 1982.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act—

Definitions.

(a) 'Appointed day' means the date notified under sub-section (2) of section 1 ;

(b) 'Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine' shall have the meaning assigned to it in U. P. Indian Medicine Act, 1939 ;

(c) 'Scheduled institution' means a medical institution imparting instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine specified in the Schedule together with the hospitals and dispensaries attached thereto or used in connection therewith and includes all lecture rooms, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with or as accessories to, or adjuncts of such institution ;

(d) 'Society' in relation to a scheduled institution means the society, trustee or other person or body in which or unto whom the ownership, management and control of the affairs of such institution are vested.

## CHAPTER II

*Acquisition of Scheduled Institutions*

**Vesting of Scheduled Institutions in the State Government.**

3. (1) On and from the appointed day, every scheduled institution together with—

(a) all lands on which such institution stands and all other land appurtenant thereto, and all buildings, erections and fixtures on such lands;

(b) all furnitures, equipments, stores, apparatuses, instruments, appliances, drugs, medicines, works, workshops, projects, automobiles, books, moneys and other assets of such institution ;

(c) all other properties, movable and immovable, including farms, leases and all rights, powers, authorities, privileges, reserve funds, investments, book-debts and all other rights and interests in or in relation to or arising out of such property as were, immediately before the appointed day, in the ownership, possession, power or control of any person, trustee, society or other body in charge of the management of the affairs of such institution ;

shall stand transferred to, and vest in absolutely the State Government and shall be applied and used for the purposes of such institution.

(2) Every deed of gift, endowment, bequest, trust or other document in relation to all or any of the properties and assets referred to in sub-section (1) shall, as from the appointed day, be construed as if it were made or executed in favour of the State Government.

(3) Subject to the provisions of this Act, every property and assets referred to in this section, which by virtue of sub-section (1) has vested in the State Government shall, by force of such vesting, be freed and discharged from any debt, obligation, mortgage, charge or lien and other encumbrances affecting it, and every attachment, injunction, decree or order of any court or tribunal restricting the use of such property in any manner shall be deemed to have been withdrawn.

(4) Subject to the provisions of this Act any proceeding or cause of action pending or existing immediately before the appointed day, by or against the society may, as from the appointed day, be continued and enforced by or against the State Government as it might have been enforced by or against such society if this Act had not come into force.

**Administration of Scheduled institutions.**

4. (1) On and from the appointed day, every scheduled institution shall be administered by the State Government in such manner as the State Government may from time to time direct.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the State Government may direct that—

(a) one or more of the scheduled institutions shall be closed down ;

(b) two or more of such institutions shall be combined or amalgamated ;

(c) students of one or more of such institutions shall be transferred to or absorbed in any other among such institutions ;

(d) teachers and other employees of such institution shall be transferred from one institution to another.

**Duty to deliver possession.**

5. (1) Every person having possession, custody or control of any property or assets referred to in section 3 on the appointed day shall deliver forthwith such property or assets to the Collector or to such other officer of the State Government as may be authorised by the State Government in this behalf, and the Collector or such other officer as aforesaid may use such force as may be necessary for obtaining such delivery.

(2) Any person who, on the appointed day, has in his possession, custody or control any books, papers or other documents relating to any property referred to in section 3 shall be liable to account for the same to the Collector or to such other officer or employee of the State Government as may be authorised by the State Government in this behalf.



(3) Without prejudice to the other provisions contained in this Act, it shall be lawful for the State Government to take all such steps as are necessary and lawful for taking possession of all properties and assets which have been transferred to and vested in it under this Act.

6. (1) Subject to the provisions of section 7, every teacher or other employee who, immediately before the appointed day is employed in, or in connection with the affairs of any scheduled institution shall become, as from the appointed day, a teacher, or other employee, as the case may be, of the State Government and shall hold his office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held, if this Act had not come into force and shall continue to do so, unless and until his employment is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions are duly altered by the State Government:

Teachers, and other employees to become employees of State Government.

Provided that if such transfer is not acceptable to any such teacher or other employee, he may give intimation to the State Government to that effect within one month from the appointed day and thereupon, his employment shall stand terminated with effect from the appointed day :

Provided further that if the employment of a teacher or other employee is terminated in accordance with the preceding proviso, such teacher or employee shall, subject to the provisions of sub-section (2), be entitled—

(a) to an amount equivalent to three months' salary in the case of permanent employee, and one month's salary in the case of any other employee ; and

(b) to other benefits, if any, which would have accrued to him because of his past services in such institution, if his employment had not been so terminated.

(2) The transfer or termination of the services of any teacher or other employee under sub-section (1) shall not entitle him to any compensation under the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 or any other law for the time being in force, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

(3) If any vacancy occurs in the post of a teacher or other employee in any scheduled institution at any time after the commencement of this Act, and a teacher or other employee serving in any medical institution imparting instructions in Ayurvedic and Unani Tibbi Systems of Medicine (other than a scheduled institution) on the date immediately preceding the date of such commencement applies for appointment to any post carrying the same rank or grade, then such teacher or employee shall be entitled to preference over other applicants, provided he fulfills the minimum qualifications prescribed for such post.

7. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may nominate an officer or appoint a committee to review the genuineness of all appointments made or increments of salary given to the teachers or other employees of scheduled institution within the period of two years immediately preceding the appointed day, and if after considering the report of such officer or committee and representations that may be received in that behalf from the teachers or other employees affected, and appointment made or increment given does not appear to the State Government to be genuine, it may terminate the services of such teacher or employee or cancel the increment, as the case may be, and the provisions of sub-section (2) of section 6 shall apply to every such termination.

Review of certain appointments etc.

(2) Every contract entered into by a society in relation to any property or asset owned by it, which is vested in the State Government under section 3, for any service, sale or supply and in force immediately before the appointed day, shall, on and from, the expiry of a period of one hundred and eighty days from the appointed day cease to have effect, unless such contract is, before, the expiry of that period, ratified in writing by the State Government and in ratifying such contract, the State Government may make such alteration or modification therein as it may think fit:

Provided that the State Government shall not omit to ratify a contract and shall not make any alteration or modification therein—

(a) unless it is satisfied that such contract is unduly onerous or has been entered into in bad faith or is detrimental to the interests of, the State Government; and

(b) except after giving the parties to the contract a reasonable opportunity of being heard and except after recording in writing its reasons for refusal to ratify the contract or for making any alteration or modification therein.

### CHAPTER III

#### *Prohibition against opening new institutions and admitting new students*

Restriction on opening of new institutions.

8. Subject to the provisions of section 9, no person other than a person authorised by the Central Government or the State Government shall, on or after the appointed day—

(a) open, organise, maintain, manage or cause to be opened, organised, maintained or managed any institution professing to undertake, conduct, provide or offer any instruction in Ayurvedic and Unani-Tibbi Systems of medicine;

(b) admit or offer admission on payment of fee or without such payment to any course of instruction in such system of medicine;

(c) receive any donation, subscription or fee (by whatever name called) in respect of any institution imparting instruction in such system of medicine;

(d) make any arrangement or hold out that arrangements have been made for lecture, coaching or tuition or experiments in any laboratory with a view to imparting instruction in such system of medicine.

Restriction on admission of student.

9. A medical institution imparting instruction in Ayurvedic or Unani-Tibbi System of medicine established before the appointed day may admit students enrolled in such institution on the appointed day from a lower class to higher class by way of promotion during a period of five years from the appointed day, and after the said period of five years, the provisions of section 8 shall *mutatis mutandis* apply to every such institution.

Savings in respect of minority institutions.

10. Nothing in section 8 or section 9 shall affect the right of any minority referred to in Article 30 of the Constitution to establish and administer any educational institutions of their choice "for imparting instruction in Ayurvedic or Unani-Tibbi Systems of Medicine or Naturopathy or Yoga Therapy".

Penalty for contravention of sections 8 and 9.

11. Every person who contravenes the provisions of sections 8 and 9 shall be punishable with imprisonment for a period which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

### CHAPTER IV

#### *Institutions imparting instruction in Naturopathy and Yoga Therapy*

Regulation of institutions relating to Naturopathy and Yoga Therapy.

12. (1) It shall be lawful for the State Government to regulate, by rules, the establishment, maintenance, management and functioning of every institution imparting instruction in Naturopathy or Yoga Therapy.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the rules referred to in that sub-section may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) registration of institutions imparting instruction in naturopathy or Yoga therapy on the date of commencement of such rules;

(b) provision for obtaining prior permission for opening or establishing new institutions in which instruction in naturopathy or Yoga therapy is to be imparted.

(c) imposition of terms and conditions on which the institutions referred to in clauses (a) and (b) shall be allowed to continue;

(d) provision for periodical inspection of the institutions referred to in clauses (a) and (b) by officers authorised under the rules;

(e) empowering the State Government or the officers authorised by it to call for such information, statement or returns from the management of institutions referred to in clauses (a) and (b), and on such intervals as may be prescribed;

(f) provision for imposition of penalty on persons who contravene the provisions of such rules or who fail to comply with any lawful directions issued thereunder.

CHAPTER V

Miscellaneous

13. The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act or any decree or order of any court, tribunal or authority.

Provisions of the Act to have overriding effect.

14. Every person who—

Penalties.

(a) having in his possession, custody or control, any property or asset held for the purposes of a scheduled institution wrongfully withholds such property or asset from the State Government in contravention of sub-section (1) of section 5; or

(b) wrongfully obtains possession of or retains any property or asset held for the purposes of any scheduled institution; or

(c) wilfully withholds or fails to account for any book, paper or other document in his possession, custody or control relating to a scheduled institution in contravention of sub-section (2) of section 5; or

(d) wrongfully uses, removes or destroys any property held for the purposes of a scheduled institution;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

15. (1) Where any offence under this Act is committed by a company, every person who, at time the offence was committed was incharge, of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by Companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Explanation—For the purposes of this section:

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm, society or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers or other employees for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Protection of action taken in good faith.

17. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing made by the State Government or any officer authorised in this behalf, by that Government.

Cognizance of offences.

18. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

THE SCHEDULE

[See SECTION 2 (c)]

Serial no.	Name of Institutions
1	Ayurved Mahavidyalaya, Varanasi.
2	Lal Bahadur Shastri Smarak Ayurvedic College, Handia (Allahabad).
3	Takmil-ut-Tib College, Lucknow.
4	Unani Medical College, Allahabad.

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sanyukt Sachiv.